

9

F-13/Asp/MSJ/14/763

15/11/14

प्रस्ताव सं. 1.....

दिनांक 8/7/2014

प्रयोजन - वाचनालय (संस्थागत) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन विनियम जिनके तहत जाँच की गई - भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :- नगर निगम, जयपुर।
2. भूखण्ड सं./योजना:- आदर्श बस्ती, टोंक फाटक, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :-
 - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :- 235.31 व.मी.
 - (ii) मौका अनुसार :- 235.31 व.मी.
4. भूखण्ड का प्रकार :-
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- निगम का भूखण्ड है।
5. सड़क की चौड़ाई :-
 - (i) मौके के अनुसार :- 12 मी. पूर्व तरफ एवं 12 मी. उत्तर की तरफ
6. भू-उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय
 - (ii) प्रस्तावित :- वाचनालय (संस्थागत)
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:- रिक्त है।
7. तकनीकी रिपोर्ट :-
 - (i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)
सैट बैक (न्यूनतम)	भवन विनियम 2010 की तालिका " 5" के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र-प्रथम	4.50 मी.	4.50 मी.
अग्र-द्वितीय	4.50 मी.	4.50 मी.
साईड प्रथम	-	-
साईड द्वितीय	3.00 मी.	3.00 मी.
ऊँचाई	12.00 मी.+स्टिल्ट	13.90 मी. (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	अंकित नहीं।	बी+एस+3 तल
बेसमेंट	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
आच्छादन	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर	39.42
एफ.ए.आर	मानक 1.00 अधिकतम -जो भी प्राप्त हो	1.33

(ii) पार्किंग:- 500 वर्ग मीटर से छोटे संस्थागत भूखण्डों पर पार्किंग की अनिवार्यता नहीं है। (10.1.1)


प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 10.33 ई.सी.यू. (02 कार, 25 स्कूटर)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान - आवश्यक नहीं हैं।


(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान - आवश्यक नहीं है।

8. विचारणीय बिन्दु :-

1. निगम के सिविल लाईन जोन द्वारा प्रस्तुत मानचित्रानुसार सार्वजनिक वाचनालय के लिए बी+एस+3 तल तक कुल ऊँचाई 13.90 मीटर के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।
2. आवासीय उपयोग जोन में वाचनालय हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर अर्थात् 500 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। प्रस्तावित पुस्तकालय का क्षेत्रफल 235.31 वर्ग मीटर है, जो स्वीकृत योग्य 500 वर्ग मीटर से कम है। अतः क्षेत्रफल बावत् शिथिलता प्रदान किये जाने बावत् निर्णय लिया जाना है।
9. प्रस्ताव :- विचारणीय बिन्दु संख्या-8 (2) पर निर्णय उपरान्त भवन मानचित्र तकनीकी रूप से एजेण्डा में वर्णित संशोधन के साथ अनुमोदन योग्य हैं।
10. समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन कर सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि बरकत नगर क्षेत्र में कोई बाचनालय नहीं है। क्षेत्र की आम जनता के लिए बाचनालय की अति आवश्यकता है। इसलिए जनहित को देखते हुए उक्त भूखण्ड पर क्षेत्रफल में शिथिलता प्रदान करते हुए बेसमेंट + स्टिल्ट + तृतीय तल कुल 13.90 मी. ऊँचाई की बाचनालय निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।



मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं अध्यक्ष,
भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति



अति० मुख्य नगर नियोजक एवं सचिव,
भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति



आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर